छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्

छठवी मंजिल, टॉवर "सी", कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सी.बी.डी
सेक्टर– 21, नवा रायपुर अटल नगर, (छ.ग), 492002
website- www.markfed.cg.nic.in Email.id ; mf_ctrlroom_raipur@gov.in

क्रमांक/विपणन/2023-24/ 1672 /2023 नवा रायपुर, दिनांक 03.07.2023

विपणन संघ के धान संग्रहण केन्द्रों में भंडारित अनुपयोगी कटे–फटे कैप कव्हर के निविदा शर्तो में संशोधन

1. निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनांए की कंडिका 15 को संशोधित किया जाता है कि सफल निविदाकार द्वारा अमानत राशि जमा कराकर निर्धारित प्रारूप में 07 दिवस में अनुबंध निष्पादन करना होगा। निविदाकार द्वारा जमा अमानत राशि स्कंध के उठाव तक सुरक्षा निधी राशि के रूप में विपणन संघ में जमा रहेगी जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।
2. निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनांए की कंडिका 4 को संशोधित किया जाता है कि अनुपयोगी डनेज सामग्री की दरें प्रति क्विंटल के आधार पर भरी जावें। निविदा दर अनुसार प्रति नग कैप कव्हर 34 किलोग्राम के मान से शत् प्रतिशत राशि संबंधित जिला कार्यालय में 07 दिवस के भीतर जमा करने के उपरांत जिला विपणन अधिकारी द्वारा डिलेव्हरी आर्डर जारी किये जावेंगे।

महाप्रबंधक (विप)